न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
33/2019/प्रा.पत्र/2019	20.05.2019	12.12.2022

मदननाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
............आवेदक

बनाम

1–श्री विनोद कुमार जैन पुत्र स्व. श्री सौभागमल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स विरेन्द्र कुमार सुमित कुमार बस स्टैण्ड बगडी (किशनगढ) तह. पीपलू जिला टोंक राज. निवासी बस स्टैण्ड बगडी (विजयगढ़) तह. पीपलू जिला टोंक
2–मैसर्स विरेन्द्र कुमार सुमित कुमार बस स्टैण्ड बगडी (किशनगढ) तह. पीपलू जिला टोंक
3–श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी मायला बाग निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक राज.
4–मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक राज.
5–श्री विनोद चौधरी पुत्र श्री श्रीराम चौधरी निवासी 431 नारायण विहार ओ–ब्लॉक, फेस–5, जयपुर पार्टनर मैसर्स चौधरी स्वीट्स एण्ड नमकीन प्रा. लि. फैक्ट्री पता–खसरा नं. 84 ग्राम रामपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर राज. ऑफिस पता–21, कृष्णा विहार–बी, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर
6–मैसर्स चौधरी स्वीट्स एण्ड नमकीन प्रा. लि. फैक्ट्री पता–खसरा नं. 84 ग्राम रामपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर राज. ऑफिस पता–21, कृष्णा विहार–बी, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 व 6 श्री तेजमल जैन।

:–**निर्णय**–:

दिनांक 12.12.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.11.2018 को समय 12:02 पी.एम. पर मैसर्स विरेन्द्र कुमार सुमित कुमार बस स्टैण्ड बगडी (किशनगढ) तह. पीपलू जिला टोंक पर पहुँचा। वहॉ पर श्री विनोद कुमार जैन पुत्र स्व. श्री सौभागमल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार जैन ने स्वंय को मैसर्स विरेन्द्र कुमार सुमित कुमार बस स्टैण्ड बगडी (किशनगढ) तह. पीपलू जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **नमकीन मिक्सर चौधरी सहेली**

2087

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पॉली पैक (Namkeen Choudhary Saheli Poly Pack) जिसके बैच नं. सी.एस.एन.ए 99 व पैकिंग की दिनांक अक्टूबर 2018 थी, 500–500 ग्राम के 18 पैकेट रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री विनोद कुमार जैन को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री विनोद कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नमकीन मिक्सर चौधरी सहेली पॉली पैक (Namkeen Choudhary Saheli Poly Pack)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 मूल पैकेट खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500–500 ग्राम के 4 मूल पैकेट **नमकीन मिक्सर चौधरी सहेली पॉली पैक (Namkeen Choudhary Saheli Poly Pack)** को 500–500 ग्राम पोली पैक को अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयरटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2042 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2042 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री विनोद कुमार जैन पुत्र स्व. श्री सौभागमल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स विरेन्द्र कुमार सुमित कुमार बस स्टैण्ड बगडी (किशनगढ) तह. पीपलू जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक राज. का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक के व्यवहारी ने मैसर्स चौधरी स्वीट्स एण्ड नमकीन प्रा. लि. फैक्ट्री पता–खसरा नं. 84 ग्राम रामपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर राज. का बिल पेश किया जिसे आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने फर्म के दस्तावेज प्रस्तुत किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 18 / 3142 दिनांक 14.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/2150/एक्ट/2018/1499 दिनांक 28.11.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय किया गया **नमकीन मिक्सर चौधरी सहेली पॉली पैक (Namkeen Choudhary Saheli Poly Pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से उनके अभिभाषक श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन मिक्सर चौधरी सहेली पॉली पैक (Namkeen Choudhary Saheli Poly Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन मिक्सर चौधरी सहेली पॉली पैक (Namkeen Choudhary Saheli Poly Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/—(अक्षरे पांच हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/—(अक्षरे पांच हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/—(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0